बिना फिटनेस, परमिट के सड़कों पर दौड़ रही थीं स्कूल बसें

बच्चों की जान जोखिम में डाली आरटीओ ने कॉलेज और स्कूल की पकड़ी 11 बसें

जबलपुर। मासूम बच्चों और छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों पर जबलपुर क्षेत्रीय परिवहन विभाग का हंटर चला। भेड़ाघाट में परिवहन विभाग की टीम ने छापेमारी कर एलएनसीटी कॉलेज और शिव शक्ति इंटरनेशनल स्कूल की कुल 11 बसों को बिना वैध दस्तावेजों के संचालित होते हुए पकड़ा। विभाग ने दोनों संस्थानों को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार आरटीओ टीम ने भेड़ाघाट चौराहा और शिव शक्ति इंटरनेशनल स्कूल परिसर में दबिश दी। जांच के दौरान एलएनसीटी कॉलेज के नाम पर पंजीकृत 7 बसें एमपी 20 डीए 0882, एमपी 20 डीए 1075, एमपी 20 डीए 1076, एमपी 20 डीए 0883, एमपी 20 पीए 0855, एमपी 20 पीए 0857, एमपी 20 पीए 0859 बिना वैध फिटनेस और परमिट के सड़कों पर दौड़ रही थीं। मौके पर कॉलेज के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज के.ओ. शिवहरे ने सफाई दी कि बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का रिन्यूअल पेंडिंग है, जिसके कारण फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सका। इ सी प्रकार शिव शक्ति इंटरनेशनल स्कूल की भी 4 बस एमपी 20 डीए 2471, एमपी 20 डीए 1045, एमपी 20 डीए 1367, एमपी 20 डीए 1046 के पास मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। स्कूल प्रबंधन बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह लापरवाह नजर आया।

12 जुलाई तक का अल्टीमेटम, तब तक परिवहन पर रोक

कार्रवाई के बाद शिव शक्ति स्कूल के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज ने लिखित आश्वासन दिया है कि आगामी 12 जुलाई को स्कूल खुलने से पहले सभी बसों के फिटनेस और परमिट संबंधी दस्तावेज अनिवार्य रूप से पूरे कर लिए जाएंगे। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक एक-एक कागज दुरुस्त नहीं हो जाता, इन बसों से बच्चों को लाने-ले जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने दोनों संस्थानों के प्रबंधन को अंतिम चेतावनी दी है कि सभी वाहन निर्धारित सुरक्षा मानदंडों को तुरंत पूरा करें। बिना शत-प्रतिशत वैध दस्तावेजों के किसी भी छात्र का परिवहन नहीं होना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहनों को सीधे जब्त कर लिया जाएगा। यदि भविष्य में इन वाहनों के कारण कोई भी अप्रिय स्थिति या दुर्घटना होती है, तो इसकी संपूर्ण कानूनी, प्रशासनिक और आपराधिक जिम्मेदारी केवल और केवल स्कूल व कॉलेज प्रबंधन की होगी।

मां और चाची के हत्यारे बेटे व भतीजे को उम्रकैद

जबलपुर। पाटन में लाचार मॉ की हत्या करने वाले आरोपी बेटे राजेन्द्र विश्वकर्मा को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं बरगी में चाची की हत्या करने वाले आरोपी भतीजे भागचंद मरकाम को भी अदालत ने उम्रकैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया है। पाटन के अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि ग्राम जरौंद निवासी आरोपी 45 वर्षीय राजेन्द्र विश्वकर्मा की वृद्ध मॉ मूंगा बाई अशक्त महिला थी, जिसकी सारी देखभाल राजेन्द्र करता था, लेकिन उसकी पत्नी उसका सहयोग नहीं करती थी, जिसकों लेकर पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता था। वर्ष 2020 में आरोपी राजेन्द्र इसी बात को लेकर अपनी मॉ मूंगा बाई की गला काटकर हत्या कर दी थी, आरोपी ने पत्नी अर्चना और खुद का भी गला रेत लिया था। पाटन पुलिस ने हत्या व हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया था। साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी राजेन्द्र को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

चाची की हत्या पर भतीजे को आजीवन कारावास

इसी प्रकार अपर सत्र न्यायाधीश अजय रामावत की अदालत ने बरगी थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में चाची की लकड़ी के डंडे से हत्या करने के मामले में आरोपी भागचंद मरकाम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जीत सिंह पटेल ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार 18 नवंबर 2020 की शाम पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी ने गालियां देते हुए अपनी चाची रमिया बाई के सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल रमिया बाई को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 12 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। विवेचना के बाद अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों, चिकित्सीय रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आधार पर अदालत ने हत्या का अपराध सिद्ध माना।

छह माह में दूसरा तबादला आदेश पड़ा भारी

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगाट की एकलपीठ ने छह माह के भीतर दोबारा किए गए स्थानांतरण पर सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर पुनर्विचार के निर्देश दिए हैं। एकलपीठ ने स्थानांतरण आदेश में विसंगतियां पाते हुए स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय होने तक डॉ. ज्योति कुमरे को शासकीय पीजी कालेज सिवनी में ही अपनी सेवाएं देते रहने की राहत दी है।

याचिका में डॉ. ज्योति कुमरे की ओर से अधिवक्ता अभय पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 15 जून 2026 के स्थानांतरण आदेश के जरिए याचिकाकर्ता को लगभग दो सौ किलोमीटर दूर शासकीय महाविद्यालय साईखेड़ा भेज दिया गया, जबकि वे वर्तमान में शासकीय पीजी कालेज सिवनी में पदस्थ हैं। यह भी बताया गया कि 18 अक्टूबर 2025 को ही उनका पूर्व स्थानांतरण हुआ था और महज छह माह के भीतर दोबारा तबादला कर दिया गया, जो स्थानांतरण नीति और प्रशासनिक औचित्य दोनों के विपरीत है। राज्य शासन की ओर से कहा गया कि स्थानांतरण जिले के भीतर किया गया है और इससे याचिकाकर्ता को कोई प्रतिकूल नागरिक परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि कम अवधि में दोबारा स्थानांतरण किया गया है। न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि स्थानांतरण आदेश में कुछ असंगतियां दिखाई देती हैं तथा याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना भी नहीं की गई है।

डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं

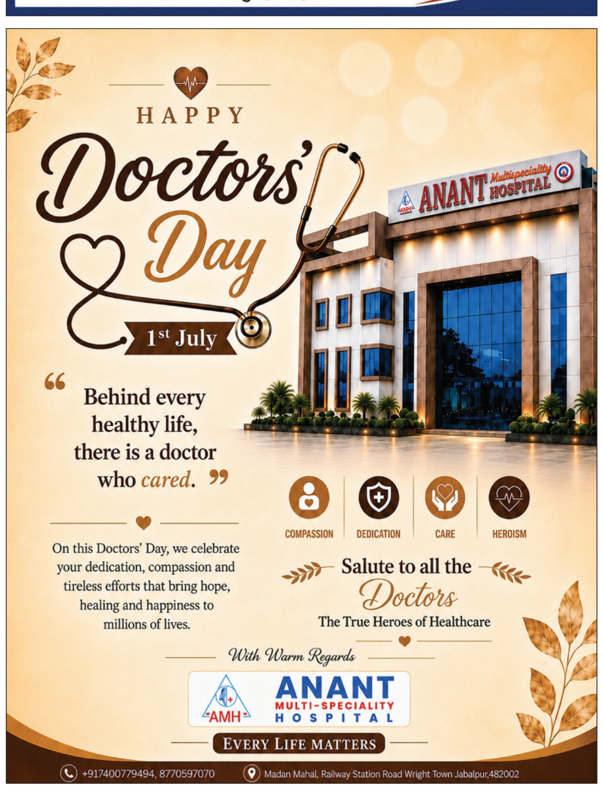

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57